भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1938

जिसका उत्तर 09.12.2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रकाश व्यवस्था

1938. श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिधुतबरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर रात में प्रकाश व्यवस्था के प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है जहां प्रकाश व्यवस्था की गई है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के मध्य में एलईडी लाईटें लगाने के लिए राज्रू सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के मध्य में एलईडी लाइट लागने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं और चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशानिर्देश राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित सेक्शन, टोल प्लाजा क्षेत्रों, विश्राम क्षेत्रों, ट्रक ले-बाय, बस बे और बस शेल्टर स्थानों, ग्रेड-सेपरेटेड संरचनाएं, इंटरचेंज, फ्लाईओवर, अंडरपास (वाहन और पैदल यात्री) और ओवरपास जैसे स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था के प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं। तदनुसार, आम तौर पर 4-लेन और 6-लेन परियोजनाओं में उपर्युक्त सड़क-खंडों/स्थानों में प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाती है। 2-लेन परियोजनाओं में, संबंधित अनुबंध समझौते प्रावधानों के अनुसार ऊपर उल्लिखित टोल प्लाजा और अन्य स्थानों में भी प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाती है। किसी परियोजना में प्रकाश के दायरे को सुरक्षा और अन्य तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयारी करते समय आकलित आवश्यकता के आधार पर और राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है।

(घ) उपरोक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित खंडों/स्थानों को छोड़कर पूरे राष्ट्रीय राजमार्गों पर मीडियन प्रकाश की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ड़) सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों के साथ संशोधन किया गया है।
ii. दुर्घटना संभावी ब्लैक स्पॉट का स्थायी सुधार।
iii. डिजाइन, निर्माण और संचालन के चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट।
iv. घटना प्रबंधन।
v. यातायात की सुगमता के उपाय प्रदान करना।
vi. सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण/कार्यक्रम
vii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ट्रक/बस चालकों के लिए निः शुल्क नेत्र जांच शिविर एवं चश्मों का वितरण।

राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में चोरी के मामलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नज़र रखती हैं।

******